वन क्षेत्रों के भीतर नदी तलों से शिलाखण्डों, पत्थरों आदि को निकाला जाना

481.**श्री मनोहर कान्त ध्यानी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री 4 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में आतरांकित प्रश्न 643 के लिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि: -

(क) क्या नैनीताल और देहरादून की पर्वतीय तराई में वनों के भीतर नदियों द्वारा लाई गई रेत आदि हटाने से संबधित ठेकों पर हस्ताक्षर केन्द्रीय सरकार की अनुमति से हुए हैं, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार, लोगों के हित और सुविधा की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे ठेके करने के लिए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है ताकि हर मामले मे केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक न हो ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मर्राडी) : (क) जी, नहीं । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की रिर्पोट के अनुसार नैनीताल और देहरादून जिलों की नदियो से रेत, गोला पत्थर आदि उठाने के ठेकों का नवीनकीकरण नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 1998 की उत्तर प्रदेश की वन नीति के अंतर्गत सभी नए पदों को उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया जायेगा ।

(ख) वन क्षेत्रों से गोला पत्थर, बजरी आदि एकत्र करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन लेना पड़ता है । मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980के कार्यान्वयन के लिए पहले ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं तथा राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करें ।

Forest Related Projects of Himachal Pradesh

482. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of forest related projects received from the state of Himachal Pradesh which are lying pending for clearance with the Central Government; and

(b) the details of the Forest land in Himachal Pradesh which has been transferred for construction of roadsGoecrnmerit buildings and various other constructioivprojccts during the last ten years, year-wise, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) Presently there are three proposals of Himachal Pradesh which involve diversion of forest land under the Forest (Conservaiton) Act, 1980 and are pending with the Central Government for forest clearance. The datails of these proposals are as under:

1. 400 KV S/C Transmission Line from Nalagarh to Kunihar.

2. Setting up Krishi Vigyan Kendra at Boktu (Nichar) by Dr. Parmar University, Solan.

3. Construction of Ekantwari-Dawala road via Jimu in Forest Division Kothagarh, District Shimla.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pollution in Subarnarckha and Brahmani Rivers

483. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing pollution of Subarnarckha and Brahmani rivers in Orissa;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any steps are proposed to be taken to stop further pollution of these two premier rivers; and .

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) and (b) River Brahmani

Yes, Sir. The increasing pollution of river Brahmani is on account of the discharge of untreated domestic wastewater from urban settlements, and industrial and mining activities in its besin.